

रक्षा मंत्रालय
मांग संख्या 19
रक्षा मंत्रालय (विविध)

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	49649.55	12001.36	61650.91	56464.68	12072.95	68537.63	61030.84	13009.90	74040.74	27744.71	5523.69	33268.40
वसूलियां	-11496.38	-62.24	-11558.62	-14526.22	-450.00	-14976.22	-14339.99	-250.00	-14589.99	-88.00	-432.00	-520.00
प्राप्तियां	-17825.48	...	-17825.48	-17428.23	...	-17428.23	-20721.96	...	-20721.96	-17896.18	...	-17896.18
निवल	20327.69	11939.12	32266.81	24510.23	11622.95	36133.18	25968.89	12759.90	38728.79	9760.53	5091.69	14852.22
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय सामान्य सेवाएं	1304.75	...	1304.75	1485.06	...	1485.06	1595.17	...	1595.17	1717.00	...	1717.00
2. सीमा सड़क विकास बोर्ड सचिवालय	380.46	...	380.46	509.73	...	509.73	553.06	...	553.06	592.71	...	592.71
3. तटरक्षक संगठन	1517.18	1516.84	3034.02	1624.41	1500.00	3124.41	1737.76	2500.00	4237.76	1829.79	2200.00	4029.79
4. रक्षा संपदा निदेशालय	346.15	...	346.15	114.91	...	114.91	368.81	...	368.81	398.66	...	398.66
5. जम्मू व कश्मीर लाइट इंफैंट्री	987.60	...	987.60	1210.61	...	1210.61	1175.90	...	1175.90	1261.27	...	1261.27
6. थलसेना न्यायाधिकरण	28.29	...	28.29	40.10	...	40.10	39.87	...	39.87	41.48	...	41.48
7. निरीक्षण-गुणवत्ता लेखा महानिदेशक (डीजीक्यूए)	868.94	10.98	879.92	1068.10	7.27	1075.37	1077.97	9.00	1086.97
	-12.84	...	-12.84	-100.00	...	-100.00	-95.00	...	-95.00
<i>निवल</i>	<i>856.10</i>	<i>10.98</i>	<i>867.08</i>	<i>968.10</i>	<i>7.27</i>	<i>975.37</i>	<i>982.97</i>	<i>9.00</i>	<i>991.97</i>
8. सेना क्रय संगठन	2.84	...	2.84
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	5423.37	1527.82	6951.19	5952.92	1507.27	7460.19	6453.54	2509.00	8962.54	5840.91	2200.00	8040.91
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा निष्पादित कार्य												
9. केन्द्रिय सड़क निधि को स्थानांतरित	70.00	380.00	450.00	70.00	180.00	250.00	88.00	362.00	450.00
10. सीमा सड़क विकास बोर्ड के अंतर्गत निर्माण												
10.01 कुल बजट सहायता	...	2165.99	2165.99	...	2302.00	2302.00	...	2529.53	2529.53	...	2779.66	2779.66
10.02 केन्द्रिय सड़क निधि से प्राप्त राशि	-380.00	-380.00	...	-180.00	-180.00	...	-362.00	-362.00
<i>निवल</i>	...	<i>2165.99</i>	<i>2165.99</i>	...	<i>1922.00</i>	<i>1922.00</i>	...	<i>2349.53</i>	<i>2349.53</i>	...	<i>2417.66</i>	<i>2417.66</i>
11. स्ट्रैटजिक सड़क के लिए राज्यों को अनुदान												
11.01 कुल बजट सहायता	50.00	...	50.00	70.00	...	70.00	70.00	...	70.00	88.00	...	88.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
11.02 केन्द्रिय सड़क निधि से प्राप्त राशि	-70.00	...	-70.00	-70.00	...	-70.00	-88.00	...	-88.00
<i>निवल</i>	50.00	...	50.00
12. अन्य कार्य	741.38	...	741.38	644.00	...	644.00	653.91	...	653.91	707.83	...	707.83
<i>निवल</i>	...	-62.24	-62.24
<i>निवल</i>	741.38	-62.24	679.14	644.00	...	644.00	653.91	...	653.91	707.83	...	707.83
जोड़-सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा निष्पादित कार्य	791.38	2103.75	2895.13	714.00	2302.00	3016.00	723.91	2529.53	3253.44	795.83	2779.66	3575.49
13. रक्षा आयुध फैक्ट्रियां												
13.01 निदेश व प्रशासन	107.37	...	107.37	130.53	...	130.53	130.53	...	130.53
13.02 शोध व विकास	85.19	...	85.19	67.12	...	67.12	67.12	...	67.12
13.03 वेतन व भत्ता (निर्माण)	5246.38	...	5246.38	6513.79	...	6513.79	6582.06	...	6582.06
13.04 स्टोर	6522.95	...	6522.95	8555.72	...	8555.72	8455.72	...	8455.72
13.05 रख-रखाव -मशीन व उपकरण	27.63	...	27.63	35.21	...	35.21	35.21	...	35.21
13.06 परिवहन	123.41	...	123.41	161.84	...	161.84	150.00	...	150.00
13.07 निर्माण	154.08	...	154.08	113.29	...	113.29	113.29	...	113.29
13.08 अन्य व्यय	1055.64	...	1055.64	1105.18	...	1105.18	1007.18	...	1007.18
13.09 नवीनीकरण व बदलाव	385.73	...	385.73	450.00	...	450.00	450.00	...	450.00
13.10 नवीनीकरण प्रारक्षित निधि-नवीनीकरण प्रारक्षित निधि आयुध फैक्ट्री से/को अंतरण
13.11 सेना, नौसेना व वायुसेना आदि के लिए की गई आपूर्तियों की वसूलियों में कटौती	-11457.10	...	-11457.10	-14006.22	...	-14006.22	-13819.99	...	-13819.99
13.12 कम राजस्व प्राप्ति	-1829.43	...	-1829.43	-1908.85	...	-1908.85	-1738.68	...	-1738.68
<i>निवल</i>	421.85	...	421.85	1217.61	...	1217.61	1432.44	...	1432.44
14. शोध व विकास												
14.01 सैन्य कर्मियों के वेतन व भत्ते	309.49	...	309.49	377.00	...	377.00	395.00	...	395.00
14.02 सिविलियन के वेतन व भत्ते	2129.43	...	2129.43	2498.73	...	2498.73	2517.54	...	2517.54
14.03 प्रशिक्षण	12.60	...	12.60	17.89	...	17.89	17.74	...	17.74
14.04 शोध व विकास	604.58	...	604.58	864.00	...	864.00	881.11	...	881.11
14.05 यातायात	114.11	...	114.11	163.94	...	163.94	130.00	...	130.00
14.06 स्टोर	2040.66	...	2040.66	1828.50	...	1828.50	1919.00	...	1919.00
14.07 निर्माण	721.46	...	721.46	830.47	...	830.47	830.47	...	830.47
14.08 अन्य व्यय	251.57	...	251.57	267.52	...	267.52	271.68	...	271.68
14.09 कम राजस्व प्राप्ति	-385.49	...	-385.49	-120.00	...	-120.00	-300.00	...	-300.00
<i>निवल</i>	5798.41	...	5798.41	6728.05	...	6728.05	6662.54	...	6662.54
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	7011.64	2103.75	9115.39	8659.66	2302.00	10961.66	8818.89	2529.53	11348.42	795.83	2779.66	3575.49
केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
15. हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड												
15.01 व्याज आर्थिक सहायता	4.84	...	4.84	4.84	...	4.84	4.84	...	4.84
15.02 पुनर्संग्रहण कार्यों के लिए सहायता	200.00	...	200.00
जोड़- हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	4.84	...	4.84	204.84	...	204.84	4.84	...	4.84
अन्य												
आवास												
16. रक्षा लेखा विभाग/रक्षा संपदा संगठन/कैप्टीन स्टोर विभाग स्टाफ क्वार्टर का रखरखाव व मरम्मत	33.87	...	33.87	42.03	...	42.03	42.28	...	42.28	46.72	...	46.72
17. रक्षा लेखा विभाग/रक्षा संपदा संगठन/कैप्टीन स्टोर विभाग/स्टाफ क्वार्टर के लिए निवास स्थान सुविधाएं	...	8.60	8.60	...	27.20	27.20	...	30.30	30.30	...	31.06	31.06
जोड़-आवास	33.87	8.60	42.47	42.03	27.20	69.23	42.28	30.30	72.58	46.72	31.06	77.78
लोक निर्माण कार्य												
18. रक्षा लेखा विभाग/रक्षा संपदा संगठन/सैन्य न्यास-अन्य भवन के निर्माण के लिए पूंजीगत व्यय	...	24.58	24.58	...	34.73	34.73	...	24.08	24.08	...	33.78	33.78
19. विविध ऋण	...	2.46	2.46	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.85	3.85
20. रक्षा आयुध फैक्ट्रियों पर पूंजीगत व्यय	...	679.76	679.76	...	735.68	735.68	...	715.29	715.29
21. शोध व विकास पर पूंजीगत व्यय	...	7490.86	7490.86	...	6865.73	6865.73	...	6792.00	6792.00
22. कैप्टीन स्टोर विभाग	14213.31	...	14213.31	15000.00	2.70	15002.70	18385.30	2.70	18388.00	17722.46	2.70	17725.16
	-15474.73	...	-15474.73	-15125.00	...	-15125.00	-18441.35	...	-18441.35	-17737.50	...	-17737.50
<i>निवल</i>	<i>-1261.42</i>	...	<i>-1261.42</i>	<i>-125.00</i>	<i>2.70</i>	<i>-122.30</i>	<i>-56.05</i>	<i>2.70</i>	<i>-53.35</i>	<i>-15.04</i>	<i>2.70</i>	<i>-12.34</i>
23. भूतपूर्व सैनिक स्वास्थ्य नियोजन योजना	2557.81	5.93	2563.74	2363.54	30.00	2393.54	2943.14	35.00	2978.14	2911.50	33.00	2944.50
	-113.52	...	-113.52	-165.63	...	-165.63	-139.56	...	-139.56	-150.72	...	-150.72
<i>निवल</i>	<i>2444.29</i>	<i>5.93</i>	<i>2450.22</i>	<i>2197.91</i>	<i>30.00</i>	<i>2227.91</i>	<i>2803.58</i>	<i>35.00</i>	<i>2838.58</i>	<i>2760.78</i>	<i>33.00</i>	<i>2793.78</i>
24. मिलिट्री फार्म	331.23	2.08	333.31	363.51	12.00	375.51	304.91	8.00	312.91	334.45	7.64	342.09
	-9.47	...	-9.47	-8.75	...	-8.75	-7.37	...	-7.37	-7.96	...	-7.96
	-0.02	...	-0.02
<i>निवल</i>	<i>321.74</i>	<i>2.08</i>	<i>323.82</i>	<i>354.76</i>	<i>12.00</i>	<i>366.76</i>	<i>297.54</i>	<i>8.00</i>	<i>305.54</i>	<i>326.49</i>	<i>7.64</i>	<i>334.13</i>
25. राष्ट्रीय राइफल	5240.74	92.11	5332.85	6234.88	101.49	6336.37	6203.47	100.00	6303.47
26. राष्ट्रीय कैडेट क्रॉप	1113.46	1.17	1114.63	1188.23	1.15	1189.38	1200.80	11.00	1211.80
जोड़-अन्य	7892.68	8307.55	16200.23	9892.81	7813.68	17706.49	10491.62	7721.37	18212.99	3118.95	112.03	3230.98
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	7892.68	8307.55	16200.23	9897.65	7813.68	17711.33	10696.46	7721.37	18417.83	3123.79	112.03	3235.82
कुल जोड़	20327.69	11939.12	32266.81	24510.23	11622.95	36133.18	25968.89	12759.90	38728.79	9760.53	5091.69	14852.22
ख. विकास शीर्ष सामान्य सेवाएं												
1. न्याय प्रशासन	28.29	...	28.29	40.10	...	40.10	39.87	...	39.87	41.48	...	41.48

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
2. सीमा शुल्क	1517.18	...	1517.18	1624.41	...	1624.41	1737.76	...	1737.76	1829.79	...	1829.79
3. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2031.36	...	2031.36	2109.70	...	2109.70	2517.04	...	2517.04	2708.37	...	2708.37
4. पुलिस	987.60	...	987.60	1210.61	...	1210.61	1175.90	...	1175.90	1261.27	...	1261.27
5. लोक निर्माण कार्य	17.85	...	17.85	22.35	...	22.35	22.60	...	22.60	24.72	...	24.72
6. विविध सामान्य सेवाएं	-1261.42	...	-1261.42	-125.00	...	-125.00	-56.05	...	-56.05	-15.04	...	-15.04
7. रक्षा सेवाएं-थल सेना	9976.33	...	9976.33	10943.88	...	10943.88	11488.36	...	11488.36	3087.27	...	3087.27
8. रक्षा सेवाएं-आयुध कारखाने	421.85	...	421.85	1217.61	...	1217.61	1432.44	...	1432.44
9. रक्षा सेवाएं- अनुसंधान और विकास	5798.41	...	5798.41	6728.05	...	6728.05	6662.54	...	6662.54
10. अन्य राजकोपीय सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	1516.84	1516.84	...	1500.00	1500.00	...	2500.00	2500.00	...	2200.00	2200.00
11. लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी परिव्यय	...	24.58	24.58	...	34.73	34.73	...	24.08	24.08	...	33.78	33.78
12. विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	2.70	2.70	...	2.70	2.70	...	2.70	2.70
13. रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	8282.89	8282.89	...	7753.32	7753.32	...	7670.29	7670.29	...	40.64	40.64
जोड़-सामान्य सेवाएं	19517.45	9824.31	29341.76	23771.71	9290.75	33062.46	25020.46	10197.07	35217.53	8937.86	2277.12	11214.98
सामाजिक सेवाएं												
14. आवास	16.02	...	16.02	19.68	...	19.68	19.68	...	19.68	22.00	...	22.00
15. आवास पर पूंजी परिव्यय	...	8.60	8.60	...	27.20	27.20	...	30.30	30.30	...	31.06	31.06
जोड़-सामाजिक सेवाएं	16.02	8.60	24.62	19.68	27.20	46.88	19.68	30.30	49.98	22.00	31.06	53.06
आर्थिक सेवाएं												
16. खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	2.84	...	2.84
17. उद्योग	4.84	...	4.84	204.84	...	204.84	4.84	...	4.84
18. सड़क और पुल	741.38	...	741.38	714.00	...	714.00	723.91	...	723.91	795.83	...	795.83
19. सड़क और पुलों पर पूंजी परिव्यय	...	2103.75	2103.75	...	2264.00	2264.00	...	2511.53	2511.53	...	2743.46	2743.46
जोड़-आर्थिक सेवाएं	744.22	2103.75	2847.97	718.84	2264.00	2982.84	928.75	2511.53	3440.28	800.67	2743.46	3544.13
अन्य												
20. पूर्वोत्तर क्षेत्र	7.00	...	7.00	7.00	...	7.00	8.80	...	8.80
21. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	50.00	...	50.00	-7.00	...	-7.00	-7.00	...	-7.00	-8.80	...	-8.80
22. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	38.00	38.00	...	18.00	18.00	...	36.20	36.20
23. विविध ऋण	...	2.46	2.46	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.85	3.85
जोड़-अन्य	50.00	2.46	52.46	...	41.00	41.00	...	21.00	21.00	...	40.05	40.05
कुल जोड़	20327.69	11939.12	32266.81	24510.23	11622.95	36133.18	25968.89	12759.90	38728.79	9760.53	5091.69	14852.22

2. सीमा सड़क विकास बोर्ड सचिवालय: स्थापना संबंधी व्यय के लिए राजस्व खंड के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन के लिए प्रावधान।

1. सचिवालय सामान्य सेवाएं: रक्षा सचिवालय पर व्यय के लिए प्रावधान (अर्थात डी ओ डी, डीडीपी, डी आर

एंड डी, डी ई एस डब्ल्यू, वित्त प्रभाग और आई डी एस ए) और रक्षा लेखा विभाग।

3. तटरक्षक संगठन: तटरक्षक संगठन पर राजस्व एवं पूंजीगत व्यय के लिए प्रावधान।

4. **रक्षा संपदा निदेशालय:** यह प्रावधान रक्षा संपदा संगठन के लिए किया गया है जिसका मुख्य कार्य छावनी बोर्डों का प्रशासन, छावनी से बाहर या भीतर कहीं भी स्थित रक्षा भूमि का प्रबंधन, रक्षा प्रयोजकों के लिए अचल संपत्तियों की मांग करना एवं किराए पर लेना आदि हैं।

5. **जम्मू व कश्मीर लाइट इंफैंट्री:** जम्मू एंड कश्मीर लाइट इंफैंट्री जोकि मई 1977 तक जे एंड के सहायक सेना के नाम से जानी जाती थी, वर्तमान में भारतीय सेना की पूर्ण विकसित रेजीमेंट है जिसके पास रेजिमेंटल सेंटर और रिकार्ड कार्यालय के अलावा 15 बटालियन हैं।

6. **थलसेना न्यायाधिकरण:** यह प्रावधान सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिकरण अधिनियम 2007 के अंतर्गत स्थापित 'सशस्त्र बल न्यायाधिकरण' (ए एफटी) पर राजस्व व्यय के लिए किया गया है।

9. **केन्द्राय सड़क निधि को स्थानांतरित:** इस प्रावधान में सीमा सड़क विकास बोर्ड को सौंपे गए राजपथ खंडों को विकसित करने के लिए तथा सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा विभिन्न राज्यों तथा पूर्वोत्तर के राज्यों में सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिति कतिपय रणनीतिक महत्व की सड़कों को निर्मित करने के लिए अनुदान शामिल है। यह व्यय केंद्रीय सड़क निधि से पूरा किया जाएगा।

15. **हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड:** यह प्रावधान हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को सस्मिडी देने तथा हदहद चक्रवीत के कारण हुई क्षति को दुरुस्त करने के लिए व्यय के लिए किया गया है।

22. **कैंटीन स्टोर विभाग:** कैंटीन भंडार विभाग मंत्रालय का विभागीय व्यावसायिक उपक्रम है। यह पूरे भारत में रक्षा सेवाओं के सदस्यों को किफायती और उचित दरों पर दैनिक आवश्यकता की अन्य मदों और घरेलू वस्तुओं को उपलब्ध करवाने का काम कर रहा है। इस शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान नेटवर्किंग खर्चों के लिए है (सकल व्यय से अधिक प्राप्ति)।

23. **भूतपूर्व सैनिक स्वास्थ्य नियोजन योजना:** इस शीर्ष (ईसीएचएस) के अंतर्गत प्रावधान में पारिवारिक पेंशनधारकों के साथ-साथ आश्रितों सहित पूर्व सैनिकों को चिकित्सीय उपचार प्रदान करने पर व्यय आता है जिसमें उनके पति/पत्नी, वैध बच्चे तथा पूर्णतः आश्रित माता-पिता शामिल हैं। ईसीएचएस एक अंशदायी योजना है। सेवा निवृत्ति पर सशस्त्र सेना का प्रत्येक कार्मिक एक निश्चित राशि का एक मुश्त योगदान करके अनिवार्य रूप से ईसीएचएस का सदस्य बनेगा। इस योजना के अंतर्गत देश के विभिन्न सैन्य तथा असैन्य स्टेशनों पर नए पॉलिक्लिनिकों को खोलकर भूतपूर्व सैनिकों को चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। इसमें ईसीएचएस संगठन के लिए आवश्यक आस्तियों/अवसंरचना सुविधाओं के अधिप्रापण पर पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान भी किए गए हैं जिसमें भूमि का क्रय, इमारतों का निर्माण करना तथा चिकित्सीय उपकरणों की खरीद शामिल है।

24. **मिलिट्री फार्म:** सैन्य फार्म मुख्यतः सशस्त्र बलों को डेयरी उत्पादों की विश्वसनीय आपूर्ति उपलब्ध करवाने और सेना द्वारा रखे जाने वाले पशुओं के लिए चारा के लिए ऐसे स्थानों पर जहां इस प्रकार की आपूर्ति सिविल साधनों से उपलब्ध नहीं होती के लिए बनाए गए हैं। कुछ स्टेशनों पर सैनिकों को उपलब्ध कराने के लिए सब्जियां भी उगाई जाती हैं। सैन्य फार्मों का पूंजीगत व्यय संयंत्र और मशीनरी की लागत, पशुओं की संख्या में वृद्धि या कटौती एवं निर्माण कार्यों पर व्यय से संबंधित है।

16. **रक्षा लेखा विभाग/रक्षा संपदा संगठन/कैंटीन स्टोर विभाग स्टाफ क्वार्टर का रखरखाव व मरम्मत:** यह प्रावधान रक्षा लेखा विभाग और रक्षा संपदा संगठन के स्टाफ के लिए आवासीय भवनों के रख-रखाव एवं मरम्मत के लिए है।

17. **रक्षा लेखा विभाग/रक्षा संपदा संगठन/कैंटीन स्टोर विभाग/स्टाफ क्वार्टर के लिए निवास स्थान सुविधाएं:** यह प्रावधान कैंटीन भंडार विभाग, रक्षा लेखा विभाग और रक्षा संपदा संगठन के स्टाफ के लिए आवासीय सुविधाओं के रखरखाव एवं मरम्मत सुविधाओं के लिए किया गया है। यह प्रावधान रक्षा लेखा विभाग, रक्षा संपदा संगठन के स्टाफ के लिए तैयार आवासीय भवनों की खरीद के लिए है।

18. **रक्षा लेखा विभाग/रक्षा संपदा संगठन/सैन्य न्याय-अन्य भवन के निर्माण के लिए पूंजीगत व्यय:** यह प्रावधान रक्षा लेखा विभाग, रक्षा संपदा संगठन और रक्षा बल अभिकरण (एएफटी) के कार्यालय भवनों के रक्षा लेखा विभाग और रक्षा संपदा संगठन (डीईओ) के कार्यालय भवनों के निर्माण कार्य के लिए है।

19. **विविध ऋण:** सीएसडी की यूनिट संचालित कैंटीन आदि के लिए विविध ऋणों के लिए प्रावधान। बजट प्रावधान वर्ष में सामान्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर होता है।

नोट: रक्षा आयुध निर्माणी, अनुसंधान एवं विकास, महानिदेशक गुणवत्ता लेखापरीक्षा (डीजीक्यूए), राष्ट्रीय राइफ्ल्स और राष्ट्रीय कैडेट कोर से संबंधित उपबंधों को बजट अनुमान 2017-18 में रक्षा सेवाओं हेतु अनुदान मांगों से शिफ्ट कर दिया गया है।